



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072020-220509  
CG-DL-E-14072020-220509

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2051]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 14, 2020/ आषाढ़ 23, 1942

No. 2051]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 14, 2020/ASHADHA 23, 1942

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

**का.आ. 2324(अ).**—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित)(नियंत्रण) आदेश, 1985 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 है।  
(2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 में (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खंड 29 के उपखंड (1क) और (1ख) में और "राष्ट्रीय जैव खेती केंद्र" शब्द से आरंभ होने वाले और "नागपुर" क्षेत्रीय कार्बनिक खेती केंद्र शब्द के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "क्षेत्रीय कार्बनिक खेती केंद्र, बंगलूरु, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर और पंचकूला" शब्दों को रखा जाएगा।

- उक्त आदेश के खंड 24क के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"29कख. कोई व्यक्ति, खंड 29 के उपखंड (1क) और (1ख) के अधीन अधिसूचित प्रयोगशालाओं में जैव उर्वरक, कार्बन उर्वरक और अखाद्यों तेल रहित खली उर्वरक के नमूने का विश्लेषण करने के लिए विश्लेषक के रूप में अधिसूचित किए जाने के लिए अर्ह्य नहीं होगा जब तक विश्लेषक निम्नलिखित अर्हताएं न रखता हो, अर्थात् :-

- (क) कृषि रसायन और मृदा विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या पादप क्रिया विज्ञान या रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या बागवानी या जैव इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री;
- (ख) केंद्रीय खेती उर्वरक केंद्र या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला संस्थान से जैव उर्वरक, कार्बन उर्वरक और अखाद्य योग्य तेल रहित उर्वरकों के विश्लेषण में प्रशिक्षण;

परंतु विश्लेषक जो इस आदेश के आरंभ की तारीख से पूर्व नियुक्त हुआ है लेकिन जैव उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक और बिना तेल वाले अखाद्य के विश्लेषण में अपेक्षित प्रशिक्षण या अनुभव नहीं रखता है तो वह ऐसे आरंभ की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि केंद्र या मान्यताप्राप्त लैब या संस्थान से विहित प्रशिक्षण करेगा

4. उक्त आदेश के खंड 29ग और 29घ में “राष्ट्रीय जैव खेती केंद्र गाजियाबाद या जैव खेती सुधार केंद्र बंगलौर, भुवनेश्वर हिसार, इंफाल, जबलपुर और नागपुर” शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं “क्षेत्रीय कार्बनिक खेती केंद्र, बंगलूरु, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर और पंचकूला” शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त आदेश की अनुसूची-1 के भाग क में, --

(क) उपशीर्ष 1(ग), पोटाशी उर्वरक के अधीन क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रक्रिया के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“6. डाई हाइड्रेट पॉली हेलाइट

(i)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	1.0
(ii)	भार के आधार पर जल विलय पोटाश (K <sub>2</sub> O) के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	13.5
(iii)	भार के आधार पर कैल्शियम(सीएओ) के रूप में, न्यूनतम	16.5
(iv)	भार के आधार पर मैग्नीशियम (एमजीओ) के रूप में, न्यूनतम	5.5
(v)	भार के आधार पर सल्फेट (एस) के रूप में प्रतिशत, न्यूनतम	18.5
(vi)	भार के आधार पर कैडमियम (सीडी) के रूप में, अधिकतम	0.0025
(vii)	भार के आधार पर ऑर्सेनिक (एस) के रूप में, अधिकतम	0.01

(ख) उपशीर्ष “1(च) सूक्ष्म पोषक तत्व” के अधीन जिंक सल्फेट मोनो हाइड्रेट (जैडएनएसओ<sub>4</sub> एच<sub>2</sub>ओ) से संबंधित क्रम संख्या 9 में मद (vii) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपशीर्ष “1(ज) फोरटीफाइड उर्वरक के अधीन क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमसंख्या और प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

29. एनपीके 9:24:24 एमजी एस जैडएन बी के साथ

i.	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (अमोनिकल और यूरिया) न्यूनतम	9.0
ii.	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन प्रतिशत न्यूनतम	6.3
iii.	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस (पी <sub>2</sub> ओ <sub>5</sub> ) के रूप में प्रतिशत न्यूनतम	24.0
iv.	भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फोरस (पी <sub>2</sub> ओ <sub>5</sub> ) के रूप में प्रतिशत न्यूनतम	20.5
v.	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेसियम (के <sub>2</sub> ओ) प्रतिशत न्यूनतम	24.0
vi.	भार के आधार पर मैग्नीशियम (एमजी) के रूप में प्रतिशत न्यूनतम	0.3
vii.	भार के आधार पर कुल सल्फर (एस) प्रतिशत न्यूनतम	2.1
viii.	भार के आधार पर कुल जिंक (जैडएन) प्रतिशत न्यूनतम	0.6
ix.	भार के आधार पर कुल बोरेन (बी) प्रतिशत	0.2-0.3
x.	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत	1.3
xi.	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।	

## 30 बोरोनेटिड एनपी28-28-0

(i)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	1.5
(ii)	भार के आधार पर कुल एन (अमोनिकल और नाइट्रेट) प्रतिशत, न्यूनतम	28.0
(iii)	भार के आधार पर अमोनिकल, न्यूनतम	9.0
(iv)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस (पी <sub>2</sub> ओ <sub>5</sub> ) न्यूनतम	28.0
(v)	भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फोरस (पी <sub>2</sub> ओ <sub>5</sub> ) प्रतिशत, अधिकतम	24.0
(vi)	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।	

(ग) उप शीर्ष 1(झ) 100 प्रतिशत जल विलेय समिश्र उर्वरक के अधीन क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"7 पोटेशियम नाइट्रेट (पिरील्ड) (13.0-45) (मृदा लागू)

(i)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत, अधिकतम	0.5
(ii)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (सभी नाइट्रोजन के रूप में) प्रतिशत, अधिकतम	13.0
(iii)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेशियम (के <sub>2</sub> के रूप में) प्रतिशत, न्यूनतम	45.0
(iv)	भार के आधार पर सोडियम (एनए के रूप में) प्रतिशत अधिकतम	1.0
(v)	भार के आधार पर कुल क्लोराइड (सीएल के रूप में) प्रतिशत अधिकतम	1.5
(vi)	भार के आधार पर जल में अघुलनशील पदार्थ प्रतिशत, अधिकतम	0.5
(vii)	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 80 प्रतिशत 2.8 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा।	

(व) उपशीर्ष "1(ज) फाच्यदाप्रद अवयव उर्वरक" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"1(ट) प्रव उर्वरक

1. एनपीके 8:8:8 (द्रव) (गन्ने की फसल के लिए)

(i)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (अमोनिकल+नाइट्रेट रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	8.0
(ii)	भार के आधार पर नाइट्रोजन अमोनिकल रूप में प्रतिशत न्यूनतम	3.0
(iii)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	8.0
(iv)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटेश (K <sub>2</sub> O के रूप में) प्रतिशत न्यूनतम	8.0
(v)	भार के आधार पर सल्फेट सल्फर प्रतिशत न्यूनतम	2.0
(vi)	भार के आधार पर जल में घुलनशील क्लोरिन (Cl के रूप में) प्रतिशत अधिकतम	0.5
(vii)	1 प्रतिशत वियलन का pH	3.5+/-0.5
(viii)	भार के आधार पर अघुलनशील कण 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे जब विनिर्दिष्ट गुरुत्व सुक्ष्म वस्त्र पर छाना जाए	
(ix)	एसपी गुरुत्व (Kg/1)	1.35

2. कैलशियम डार्ड हाइड्रोजन फास्फेट (द्रव)

(i)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> के रूप में) प्रतिशत	22.0
(ii)	pH	1.1+/-1
(iii)	एसपी गुरुत्व (Kg/L)	1.25-1.35 ।।

6. उक्त आदेश की अनुसूची-II के भाग-ख में क्रम संख्या 29 में निम्नलिखित टिप्पणों को अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"टिप्पण :-

1. एएनएसए विलयन निकल यदि यह पूर्ण रूप से विघटित नहीं होता या तत्काल डार्क विलयन प्राप्त करता है। डी आयनीकृत पानी के स्रोत को बदलने के पश्चात् पुनः प्रयास करे।

2. मोलिब्डेट यौगिकी को पर्यावरणीय माना जाता है उन तत्वों से युक्त अपशिष्ट को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार एकल और निपटान करना होगा।

3. जहां तक संभव हो कांच के उपयोग से बचे। सभी मानकों और अभिकर्मकों को पालीइथिलीन या अन्य प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाना चाहिए। विशेष रूप से NaOH को कांच में संग्रहीत किए जाने की संभावना से बचने के लिए (NaOH कांच में सिलिका को सक्रिय रूप से घोलने में सक्षम है)

4. किसी भी अभिकर्मकों या नमूने के साथ अग्रिम में कांच परीक्षण ठूब शुरू न करे, कांच सिलिकॉन लीच कर सकता है।

5. जैसा कि प्रत्येक अभिकर्मक की समान यात्रा का उपयोग मानक समाधान और नमूनों दोनों के लिए किया जाता है। थोड़ी मात्रा में एसआई संदूषण को सहन किया जा सकता है। अंशाकन लाइन मामूली पृष्ठभूमि संदूषण के लिए अनुमति देगा। यद्यपि, यदि शून्य स्टैंड में नीला रंग बहुत तीव्र हो जाता है तो कार्य सीमा को अंशाकन लाइन की रेखिक सीमा से परे धकेल दिया जा सकता है और सभी समाधानों को फिर से तैयार करना होगा। निम्नलिखित समाधानों में से एक या अधिक एसआई संदूषण हो सकता है; 0.5 सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम पैरा मोली ब्रेट, टार्टरिक एसिड या एएनएसए। यदि उपलब्ध हो तो एक और डी-आयोनाइज्ड जल आपूर्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि एसआई अभी भी मौजूद है अभिकर्मकों और निकालने वाले को आसुत में तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है। कोई डी आयनित पानी नहीं।

7. उक्त आदेश की अनुसूची-III में भाग-ग में "नमूनों का लिया जाना" संबंधित पैरा 3 में उप पैरा 3.2 और 3.3 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा को रखा जाएगा अर्थात् :--

"3.2 निरीक्षक द्वारा जैव उर्वरक का नमूना लिया जाएगा, उस पर चिपकाए गए लेबल को हटाएगा और लेबल पर जैव उर्वरक या वैविक उर्वरक का जैनरिक नाम, अवसान की तारीख कोड संख्या अंतर्विष्ट होगी और नमूने की तारीख पैकेट/कंटेनर के ऊपरी मार्जिन पर चिपकाई जाएगी। नमूना कपड़े के थैले में रखा जाएगा और निरीक्षक सील के साथ सीलबंद किया जाएगा। प्ररूप 'पी' के साथ सीलबंद कपड़े के थैले में अंतर्विष्ट नमूने को अन्य कपड़े के थैले में रखा जाएगा और निरीक्षक सील के साथ सीलबंद किया जाएगा। पहचान योग्य विवरण जैसे कोड संख्या, नमूने लेने की तारीख जैव उर्वरक का नाम को प्ररूप 'पी' के साथ अंतर्विष्ट जैव उर्वरक को कपड़े के थैले में रखा जाएगा।

3.3 तीन नमूनों में से एक नमूना जो सीलबंद किया गया है, को खंड 29 के अधीन राज्य सरकार या राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद निदेशक द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला के भारसाधक को भेजा जाएगा। ऐसी दशा में जहां नमूना राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के निदेशक को भेजेगा या उसका अधिकृत अधिकारी नमूने को पुनः कोड करेगा और पश्चात्कथित विश्लेषण के लिए किसी प्रादेशिक जैविक खेती केंद्र बंगलौर, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, इम्फाल, जबलपुर, नागपुर और पंचकूला को भेजेगा। अन्य नमूना जैसी भी दशा हो विनियमित या व्यवहारी को दिया जाएगा, तीसरा नमूना निरीक्षण द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अगले उच्च प्राधिकारी को भेजेगा। अपीलीय प्राधिकारी खंड 29ख के उपखंड (2) के अधीन विश्लेषण संदर्भ के लिए पश्चात्कथित कोई दो नमूने भेजेगा"।

8. उक्त आदेश की अनुसूची-IV के भाग क में क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"9 क्रिपित जैविक खाद

(i)	भार के आधार पर आप्रता प्रतिशत अधिकतम	30-40%
(ii)	कुल एनपीके पोषक तत्व P205 और K20 पोषक तत्वों से कम नहीं होने चाहिए	1.2%
(iii)	कुल जैविक कार्बन (न्यूनतम)	14%

(iv)	सी:एन अनुपात	<20
(v)	व्यावहारिक आकार	न्यूनतम 90% सामग्री भारतीय मानक 4.0 मिमी छलनी से छन जाए
(vi)	pH	6.5-8.0
(vii)	रोगजनक	शून्य
(viii)	चालकता (डीएस 1 के रूप में) इससे अधिक न हो	4
(ix)	भारी धातु अंश (mg/kg के रूप में) अधिकतम	
	आर्सेनिक (As <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	10.0
	कैडियम (Cd)	5.0
	तांबा (Cu)	50.0
	क्रोमियम (Cr)	300.0
	पारा (Hg)	0.15
	निकिल (Ni)	50.0
	सीसा (Pb)	100.0
	ज़िंक (Zn)	1000.0"

[फा. सं. 2-5/2019 फर्टी लॉ]

नीरजा आदिदम, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पण :** मूल आदेश संख्यांक सा.का.नि. 758(अ) तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से संख्या का.आ. 2002 तारीख 22-06-2020 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

### ORDER

New Delhi, the 13th July, 2020

**S.O. 2324(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) second Amendment Order, 2020

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, (hereinafter referred to as the said Order), in clause 29, in sub- clauses (1A) and (1B), for the portion beginning with the words "National Centre" and ending with the word "Nagpur", the words "Regional centre of Organic farming at Bengaluru, Bhubaneswar, Gaziabad, Imphal, Jabalpur, Nagpur and Panchkula" shall be substituted;

3. In the said order, after clause 29AA, the following clause shall be inserted, namely:-

“29AB. No person shall be eligible to be notified as analyst for analysis of sample of Biofertiliser, Organic fertiliser and non edible de- oiled cake fertilizers in the laboratories notified under sub clauses (1A) and (1B) of clause 29, unless the analyst possesses the following qualifications, namely :-

(a) Postgraduate degree in Agriculture Chemistry and Soil Science or Microbiology or Plant Pathology or Chemistry or Biotechnology or Horticulture or Bio- Engineering;

(b) training in analysis of Biofertiliser, Organic fertiliser and non edible de- oiled cake fertilizers at National Centre of Organic Farming or at a recognized laboratory or Institute:

Provided that the analyst who has been appointed prior to the date of commencement of this Order, but does not possess the requisite training or experience in analysis of Biofertiliser, Organic fertiliser and non edible de- oiled cake shall undergo prescribed training at the National Centre of Organic Farming or at a recognized lab or Institute within a period of three years from the date of such commencement.

4. In the said order, in clauses 29C and 29D, for the words “National Centre of Organic Farming, Ghaziabad or Regional Centre of Organic Farming at Bangalore, Bhubaneswar, Hissar, Imphal, Jabalpur and Nagpur”, wherever they occur, the words “Regional centre of Organic Farming at Bengaluru, Bhubaneswar, Ghaziabad, Imphal, Jabalpur, Nagpur and Panchkula” shall be substituted.

5. In the said Order, in Schedule – I, in PART – A,-

(a) Under sub heading “1(c). STRAIGHT POTASSIUM FERTILIZERS”, after serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted , namely:-

“6. Dihydrate Poly halite

(i)	Moisture per cent by weight, maximum	1.0
(ii)	Water soluble potassium (as K <sub>2</sub> O) per cent by weight, minimum	13.5
(iii)	Water soluble Calcium (as CaO) per cent by weight, minimum	16.5
(iv)	Water soluble Magnesium (as MgO) per cent by weight, minimum	5.5
(v)	Sulphate Sulphur (as S) per cent by weight, minimum	18.5
(vi)	Cadmium (as Cd) per cent by weight, maximum	0.0025
(vii)	Arsenic (as As) per cent by weight, maximum	0.01

(b) under sub-heading “1(g) MICRONUTRIENTS”, in serial number 9 relating to Zinc Sulphate Monohydrate (ZnSO<sub>4</sub>. H<sub>2</sub>O), item (vii) shall be omitted;

(c) under sub-heading “1 (h) FORTIFIED FERTILISERS”, after serial number 28 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted , namely:-

“29 NPK 9:24:24 fortified with Mg S Zn B

(i)	Total nitrogen (ammonical and urea), per cent by weight, minimum	9.0
(ii)	Ammonical nitrogen, per cent by weight, minimum	6.3
(iii)	Available phosphorus (as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), per cent by weight, minimum	24.0
(iv)	Water soluble phosphorus (as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), per cent by weight, minimum	20.5
(v)	Water soluble potassium (K <sub>2</sub> O), per cent by weight, minimum	24.0
(vi)	Magnesium (as Mg), per cent by weight, minimum	0.3
(vii)	Total Sulphur (S). per cent by weight, minimum	2.1
(viii)	Total Zinc (Zn), per cent by weight, minimum	0.6
(ix)	Total Boron (B), per cent by weight	0.2-0.3
(x)	Moisture per cent by weight, maximum	1.3

(xi)	Particle size-minimum 90 per cent of the material shall be retained between 1 mm and 4 mm sieve.	
------	--	--

## 30 Boronated NP 28-28-0

(i)	Moisture per cent by weight, maximum	1.5
(ii)	Total N (ammoniacal and nitrate) per cent by weight, minimum	28.0
(iii)	Ammoniacal per cent by weight, minimum	9.0
(iv)	Available phosphorus (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) per cent by weight, minimum	28.0
(v)	Water Soluble Phosphorus (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) per cent by weight, minimum	24.0
(vi)	Boron (as B) per cent by weight	0.2
(vii)	Particle size- Min 90% of the material shall be retained between 1 mm and 4 mm IS sieve.”	

(d) Under sub-heading “1 (i) 100 % Water Soluble Complex Fertiliser”, after serial number 6 and the entries relating there to, the following serial number and entries shall be inserted , namely:-

## “7. Potassium Nitrate (prilled) (13-0-45) (soil application)

(i)	Moisture per cent. by weight,maximum	0.5
(ii)	Total nitrogen (all in Nitrate form) per cent. by weight minimum	13.0
(iii)	Water soluble potassium (as K <sub>2</sub> O) per cent. by weight minimum	45.0
(iv)	Sodium (as Na) per cent. by weight maximum	1.0
(v)	Total Chloride (as Cl) per cent. by weight maximum	1.5
(vi)	Matter insoluble in water, per cent by weight maximum	0.5
(vii)	particle size 80 per cent. of the material shall be retained between 1mm and 2.8 mm IS sieve.	

(v) after sub-heading “ 1(j) BENEFICIAL ELEMENT FERTILIZER”, and the entries relating there to, the following sub-heading and entries shall be inserted , namely,-

## “1 (k) LIQUID FERTILIZER

## 1. NPK 8:8:8 (liquid) (for Sugar cane crop)

(i)	Total Nitrogen (ammonical +nitrate form) per cent by weight minimum	8.0
(ii)	Nitrogen in ammonical form per cent by weight minimum	3.0
(iii)	Available Phosphorus (as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) per cent by weight minimum	8.0
(iv)	Water soluble Potash (as K <sub>2</sub> O) per cent by weight minimum	8.0
(v)	Sulphate sulphur per cent by weight minimum	2.0
(vi)	Water soluble Chlorine (as Cl ) per cent by weight maximum	0.5
(vii)	pH of 1 per cent solution	3.5+0.5

(viii)	Insoluble particle will not exceed 0.1per cent by weight when filtered on muslin cloth	
(ix)	Specify gravity	1.35

## 2. Calcium Di hydrogen Phosphate (liquid)

(i)	Available Phosphorus (as P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), per cent by weight, minimum	222.0
(ii)	pH	1.1+/- 1
(iii)	sp gravity (Kg/l)	1.25-1.35.”.

6. In the said Order, in Schedule-II, in PART-B, in serial number 29, the following note shall be added at the end, namely:-

“Note:-

1. Discard ANSA solution if it does not completely dissolve, or yields a dark solution immediately. Try again after changing source of de-ionised water.

2. Molybdate compounds are considered as environmental hazard. Waste containing those elements has to be collected and disposed of according to regional requirements.

3. Avoid use of glass whenever possible. All standards and reagents should be kept in polyethylene or other plastic bottles, particularly NaOH to avoid any possibility of it being stored in glass. (NaOH is able to actively dissolve silica in glass)

4. Do not start filling glass test tubes in advances with any of the reagents or sample, at the glass can leach silicon.

5. As the same amount of each reagent is used for both standard solutions and samples, a small amount of Si contamination can be tolerated. The calibration line will allow for minor background contamination. However, if the blue colour in the zero stand becomes too intense, the working range may be pushed beyond the linear range of the calibration line, and all contain solutions must be prepared again. Si Contamination may occur in one or more of the following solutions; de-ionised water (used to make up one or all of the solutions), 0.5 sulfluric acid, ammonium para molybdate, tartaric acid or ANSA. Another de-ionised water supply should be used, if available. If Si is still present, reagents and extractant may need to be prepared in distilled, no de-ionised water.

7. In the said order, in Schedule-III, in Part-C relating in para 3 relating to “Drawal of samples”, for sub-paras 3, 2 and 3.3, the following sub-paras shall be substituted, namely:-

“3.2 Of the sample of biofertilisers drawn by the Inspector, the label affixed therein shall be defaced and a label containing generic name of bio fertilizers or organic fertilisers, expiry date, code number and date of sampling shall be pasted on the upper margin of sample packet/ container. The sample shall be kept in cloth bag and be sealed with Inspector seal. The sealed cloth bag containing sample along with form ‘P’ shall be kept in another cloth bag and be sealed with inspector seal. The identifiable detail such as code number, date of sampling name of biofertiliser shall be put on cloth bag containing biofertiliser with form ‘P’.

3.3 Out of three samples collected one sample so sealed shall be sent to Incharge of the laboratory notified by the State Government under clause 29 or the Director, National Centre of Organic Farming at Ghaziabad. In case where the sample is sent to Director National Centre of Organic Farming at Ghaziabad, or his authorized officer shall recode the sample and forward to any of the Regional Centre of Organic Farming at Bengaluru, Bhubaneshwar, Ghaziabad, Imphal, Jabalpur, Nagpur, and Panchkula for analysis. Another sample shall be given to manufacturer or dealer as the case may be. The third sample shall be sent by the inspector to the next higher authority for safe custody. The appellate authority shall be sent any of the latter two samples for referee analysis under sub-clause (2) of clause 29 B”.

8. In the said Order, Schedule-IV, in PART-A, after serial number 8 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be inserted , namely,-



## “9 Fermented Organic Manure

(i)	Moisture% by weight, maximum	30-40%
(ii)	NPK Nutrients- Total N, P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> and K <sub>2</sub> O nutrient should not be less than	1.2%
(iii)	Total Organic Carbon(minimum)	14%
(iv)	C:N Ratio	<20
(v)	Practical Size	Minimum 90% material should pass through 4.0 mm IS Sieve
(vi)	pH	6.5-8.0
(vii)	Pathogens	NIL
(viii)	Conductivity (as dSm <sup>-1</sup> ) not more than	4
(ix)	Heavy metal content, (as mg/kg),maximum	
	Arsenic as (As <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	10.0
	Cadmium (as Cd)	5.0
	Copper (as Cu)	50.0
	Chromium (as Cr)	300.0
	Mercury (as Hg)	0.15
	Nickel (as Ni)	50.0
	Lead (as Pb)	100.0
	Zinc (as Zn)	1000.0

[F. No. 2-5/2019 Fert Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.

**Foot Note :** The principal order was published in the Gazetted of India, Part II, section 3(i) *vide* number G.S.R. 758(E) dated the 25<sup>th</sup> September, 1985 and was last amended *vide* number S.O. 2002(E) dated the 22-06-2020.

## आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2020

**का.आ. 2325(अ).**—केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 20 ख के अनुसरण में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित प्रचलित उर्वरकों के विनिर्देश को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. श्रेणी: N:P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:K<sub>2</sub>O:S:Zn:B 16:16:10:4:1:0.2

क्र.सं.	विवरण	संयोजन
(i)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	1.5
(ii)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन (अमोनिकल+ यूरिया) का प्रतिशत न्यूनतम	16.0
(iii)	भार के आधार पर अमोनिकल नाइट्रोजन का प्रतिशत न्यूनतम	5.39
(iv)	भार के आधार पर उपलब्ध फास्फोरस ( P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	16.0
(v)	भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फोरस ( P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	14.26

(vi)	भार के आधार पर जल में विलेय पोटैशियम (K <sub>2</sub> O के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	10.0
(vii)	भार के आधार पर गंधक (S के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	4.0
(viii)	भार के आधार पर जिंक (Zn के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	1.0
(ix)	भार के आधार पर बोरॉन ( B के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	0.2
(x)	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा ।	

उपरोक्त दिए गए विनिर्देश निम्नलिखित को लागू होंगे :-

(क) फसल : मिर्च

(ख) अवस्था : बैसल; और

(ग) जिला : तेलंगाना राज्य के जिले करीमनगर, खम्मम और वारंगल आंध्र प्रदेश राज्य के जिले गुंटूर, कृष्णा और प्रकाशम,

## 2. श्रेणी N:P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:K<sub>2</sub>O:: 21-0-9

क्र.सं.	विवरण	संयोजन
(1)	(2)	(3)
(i)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत अधिकतम	1.5
(ii)	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन का प्रतिशत न्यूनतम	21.0
(iii)	भार के आधार पर यूरिया नाइट्रोजन का प्रतिशत न्यूनतम	21.0
(iv)	भार के आधार पर जल में विलेय पोटैशियम (K <sub>2</sub> O के रूप में) का प्रतिशत न्यूनतम	9.0
(v)	कण आकार : सामग्री का कण आकार ऐसा होगा कि सामग्री का न्यूनतम 90 प्रतिशत 4 मि. मी. और 1 मि. मी. भारतीय मानक छलनी के बीच रह जाएगा ।	

उपरोक्त दिए गए विनिर्देश निम्नलिखित को लागू होंगे :-

(क) फसल : मिर्च

(ख) अवस्था: टाप डरेस ; और

(ग) जिला : तेलंगाना राज्य के जिले करीमनगर, खम्मम और वारंगल और आंध्र प्रदेश राज्य के जिले गुंटूर, कृष्णा और प्रकाशम,

[फा. सं. 2-5/2019 उर्वरक विधि]

नीरजा आदिदम, संयुक्त सचिव

## ORDER

New Delhi, the 13th July, 2020

**S.O. 2325(E).**—In pursuance of clause 20B of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, the Central Government hereby notifies the specifications of the following customised fertilizers for a period of three year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

## 1. Grade: N:P2O5:K2O:S:Zn:B 16:16:10:4:1:0.2

Serial number.	Description	composition
1.	Moisture per cent. by weight maximum	1.5
2.	Total Nitrogen (Ammonical + Urea) per cent. by weight minimum	16.0
3.	Ammonical Nitrogen per cent. by weight minimum	5.39
4.	Available Phosphorus (as P2O5) per cent. by weight minimum	16.0
5.	Water soluble phosphorus (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) per cent by weight, minimum	14.26
5.	Water Soluble Potash (as K <sub>2</sub> O) per cent. by weight minimum	10.0
6.	Zinc (as Zn) per cent. by weight minimum	1.0
8	Sulphur as (S) per cent. by weight, minimum	4.0
9.	Boron as B per cent. by weight minimum	0.2
10.	Particle Size of the granules will be such that 90 per cent of the material shall retain between 1mm to 4mm IS sieve.	

The specification given above are applicable to the following:

- Crop : Chilli,
- Stage :Basal
- Districts: Karimnagar, Warangal and Khammam of the stateof Telengana and Krishna, Guntur and Prakasam of the stateof Andhra Pradesh

## 2. Grade N:P2O5: K2O : 21:0:9

S.No.	Description	
1.	Moisture per cent. by weight maximum	1.5
2.	Total Nitrogen per cent. by weight minimum	21.0
3.	Urea Nitrogen per cent. by weight minimum	21.0
4.	Water soluble Potassium (K2O) per cent. by weight minimum	9.0
5.	Particle Size of the granules will be such that 90 per cent of the material shall retain between 1mm to 4mm IS sieve.	

The specification given above are applicable to the following:

- Crop : Chilli,
- stage:Top dress
- Districts: Karimnagar, Warangal and Khammam of the stateof Telengana and Krishna, Guntur and Prakasam district of the state of Andhra Pradesh

[F. No. 2-5/2019 Fert Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.